# Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

| S. No. | | |
|---|---|---|
| 18 | Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर को रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर II खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग 4 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है :–<br>1. खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।<br>2. इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।<br>3. सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फेसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।<br>4. वन्यप्राणी हाथी के प्रबंधन हेतु उपयुक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार की जाए जिसके प्रावधानों का क्रियान्वयन आवेदक संस्थान के व्यय पर किया जाए।<br>5. आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के शर्तों के पालन की मानीटरिंग के लिये वन विभाग को एक नवीन वाहन उपलब्ध करायेगा। |

Signature

Date : 19 -04-2022

Place : Raipur

19/04/22

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,

C.G. Govt

Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

# छत्तीसगढ़ शासन
## वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–26/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19 /04/2022

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग,
अलीगंज रोड, नई दिल्ली –110003 ।

विषय :– Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Gare Palma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh area – 214.869 ha. - regarding.

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/2593, दिनांक 20.10.2021 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–245/362, दिनांक 24.02.2022 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 1 | आवेदक विभाग का मांग पत्र–<br>आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर द्वारा रायगढ़ वनमंडल के गारे पेलमा सेक्टर **II** खुली कोयला खदान उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 214.869 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म **A** भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है –<br>संरक्षित वन: 99.735 हे. ; आरक्षित वन: – ; राजस्व वन भूमि: 115.134 हे. ; योग रकबा: 214.869 हे. | 1 – 8 |
| 2 | प्रपत्र **I** में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –<br>वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/MIN/20495/2016** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.02.2018 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58,000/– जमा कराये गये हैं। | 9 |
| 3 | वन क्षेत्र का विवरण –<br>व्यपवर्तन हेतु आवेदित 214.869 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है। | 31–36 |
| 4 | गैर वनक्षेत्र का विवरण –<br>गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। | 37–38 |

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 5 | व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर– 214.869 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है। | 39–41 |
| 6 | वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप – <br> वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। | 42–60 |
| 7 | प्रपत्र –4 में प्रस्ताव – <br> प्रपत्र–4 में परियोजना की कुल लागत रू. 300 लाख करोड़ है। वनमंडलाधिकारी रायगढ़ ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। फ्लौरा एवं फौना की सूची दी गई है। | 61–70 |
| 8 | प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – <br> प्रस्ताव में संलग्न है। | 71–83 |
| 9 | वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – <br> आवेदित वन क्षेत्र के एवज में समतुल्य निजी भूमि ग्राम चक्रधरपुर, नटवरपुर, धुमाबहाल में 214.869 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। | 84–85 |
| 10 | न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – <br> प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 86–87 |
| 11 | पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र – <br> भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J – 11015/72/2016–IA-II (M) दिनांक 06.08.2016 से गारे पेलमा सेक्टर II के लिए टी.ओ.आर. जारी किया गया है। | 88–94 |
| 12 | वृक्ष विदोहन विवरण – <br> आवेदित क्षेत्र में 3684 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। | 95–99 |
| 13 | कास्ट/बेलिफिट ऐनालिसिस – <br> कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 1:48.2 है। | 100–114 |
| 14 | चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातंरण आदेश) – <br> गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। | 115–547 |
| 15 | गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – <br> प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु निजी भूमि में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। | 548–551 |

क्रमशः 3

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 16 | स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –<br>स्थल विशेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ वनमंडल के ग्राम चक्रधरपुर के निजी भूमि 115.207 हे., ग्राम नटवरपुर में 95.483 हे. एवं ग्राम बांगुरसिया में 4.248 हे. कुल रकबा 214.938 हे. प्रस्तावित है। स्थलवार 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है जिसमें वन मंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा जारी किया गया वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है। | 552–593 |
| 17 | वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –<br>एकजाई वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा जारी किये गये है। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना में वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया है। | 594–599 |
| 18 | अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो का विवरण–<br>वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है। इस आशय का वनमंडलाधिकारी रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है। | 600–601 |
| 19 | अधिनियम उल्लघंन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –<br>लागू नहीं। | 602–603 |
| 20 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही –<br>लागू नहीं। | 604–605 |
| 21 | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –<br>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कोयला खनन कार्य हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. वन भूमि प्रभावित हो रहा है उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य निजी भूमि ग्राम चक्रधरपुर, नटवरपुर बांगुरसिया में प्रस्तावित है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। | 606–607 |
| 22 | कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –<br>रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत गारे पेलमा, सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा अनुमोदित कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है। | 608, 609 (ए) से 675 |
| 23 | रिक्लेमेशन प्लान –<br>रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत गारे पेलमा, सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल द्वारा अनुमोदित रिक्लेमेशन प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है। | 676–728 |
| 24 | माईनिंग प्लान **IBM** नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नागपुर के पत्र क्रमांक/34011 /16/2016-CAMP दिनांक 12.08.2016 से अनुमोदित माईनिग प्लान संलग्न हैं । | 729–731 |

Kcjm

क्रमशः : 4

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 25 | व्यवस्थापन प्लान – आयुक्त बिलासपुर के पत्र क्रमांक/365/राजस्व शाखा/2020 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा पुर्नवास कार्य आयोजना का अनुमोदन किया गया है। | 732–749 |
| 26 | वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र **I** से **IV** तक)–<br>वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2021 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग–2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.4 से 0.5 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 11.10.2021 के उपरांत वनमंडलाधिकारी रायगढ़ के सुझावों से सहमत होते हुए प्रस्तावित व्यपवर्तन क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि अंतर्गत तेंदुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है। अतः उक्त क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्य प्राणी योजना के क्रियान्वयन एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन के शर्त पर प्रस्ताव अनुशंसित की गई है। | 750–760 |
| 27 | ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र –<br>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नही है वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। | 761–762 |
| 28 | संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –<br>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, लिबरा, कंजेमुरा, पाता, गारे, ढोलनारा, साररामाल, सराईटोला, गुड़ागांव, झिकाबहाल एवं भालुमुड़ा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 763–793 |
| 29 | जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) –प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 324301.500 हे. का विवरण संलग्न है। | 794–795 |
| 30 | 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –<br>वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 3758.555 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है। | 796–806 |
| 31 | 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में–वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 2262.348 हे. दर्शित है। | 807–809 |
| 32 | प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी– वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल के प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन अनुसार महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. के प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. के परिधि में हाथियों का आवागमन होता रहा है। | 810–811 |

क्रमशः : 5

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 33 | 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में) – <br> 15 कि.मी. परिधि के नक्शें में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र संलग्न है। | 812–814 |
| 34 | वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – <br> महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. कलेक्टर जिला रायगढ़ के पत्र क्रमांक/1611/स.अ.भू.अ./2019, दिनांक 02.12.2019 से वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 815–834 |
| 35 | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – <br> प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि रकबा 115.134 हे. के लिए कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक/232/स.अ.भू.अ./2020 दिनांक 07.02.2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है । | 835–854 |
| 36 | माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – <br> आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। | 855–857 |
| 37 | **Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance –** <br> आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। | 858–859 |
| 38 | **A detailed note on soil productivity or the lack of it –** <br> प्रश्नाधीन भूमि की कुल रकबा 214.869 हे. वन भूमि की मिट्टी, चिकनी, दोमट एवं बलूई है, जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है, तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिये मृदा, वृक्षों/वनस्पतियों के लिये उपयुक्त है एवं Soil productivity प्रस्ताव संलग्न है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 860–952 |
| 39 | परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – <br> महाराष्ट स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर–2 कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 214.869 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नही किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य किया जायेगा। वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 953–954 |
| 40 | **Divesion of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation) Act 1980 Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) –** <br> आवेदित क्षेत्र 500.00 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नही है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है । | 955–956 |
| 41 | पंजीयन कमांक –चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार दर्शित है। | 957–963 |

क्रमश : 6

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 42 | वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–494/12, दिनांक 20.01.2021 से 3 करोड़ 58 लाख का अनुमोदित वन्यप्राणी योजना तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। | 964–971 |
| 43 | विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नही है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। | 972–973 |
| 44 | प्रस्ताव में अन्य **(Misc)** जानकारी का विवरण – | 974 |

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में ।

KRajput
19.4.22
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–26/2021/10–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /04/2022

प्रतिलिपिः–

1 वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर प्रस्ताव की 1 प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

3.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ।

5. Executive Engineer (Addle) (Coal), महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि., गारे पेलमा कोल माईन्स सेक्टर–2 विद्युत भवन, कटोल रोड़, नागपुर 440013।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit